

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 मार्च 2018—फाल्गुन 22, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2018

क्र. एफ-3-3-2018-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा डॉ. राजेश दुबे (सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर) को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के लिये संभागीय सतर्कता समिति, सागर संभाग, सागर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.